रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 388] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 18, 1978/श्रावण 27, 1900

No. 388] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 1978/SRAVANA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1978

का०आ० 506(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/78.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 267(ई)/18 एए/आई डी आर ए/78, तारीख 13 अप्रैल, 1978 द्वारा मैसर्स श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोन्नगर, जिला हुगली, पश्चिमी बंगाल (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्धग्रहण, (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 13 अप्रैल, 1978 से प्रारम्भ होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए कर लिया गया है;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में, अनुसूचित उद्योग अर्थात सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन के परमाणु में गिरावट को रोकने की दृष्टि से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 कख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचांगों, स्थायी आदेशों या (अन्य प्रतिभूति प्राप्त दायित्वों से भिन्न है), जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम के स्वामी कम्पनी एक पक्षकार है, या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी में लागू हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोदभूत और उद्भूत होने वाले सभी अधिकार विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे।

[सं०फा० 3(15)77-सी यू सी]

पी०सी० नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 18th August, 1978

S.O. 506(E)/18FB/IDRA/78.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry

(Department of Industrial Development) No. S.O. 26(E)/18AA/IDRA/78 dated the 13th April, 1978, the management of the industrial undertaking of Messrs. Sri Durga Spinning and Weaving Mills Limited, Konnagar, District Hooghly, West Bengal (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years commencing from the 13th April, 1978;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interest of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, cotton textile industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of this Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all rights, privileges, obligations and liabilities, accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[File No. 3/15/77-CUC]
P. C. NAYAK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978